नाम पीठासीन अधिकारी – श्री राजीव द्विवेदी आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा जिला डूँगरपुर

प्रकरण संख्या –196/2017(राजस्व वाद)

दायर दिनांक–12.7.2017
निर्णय दिनांक– 19.10.2020

1– श्री लक्सी पिता नगा ताबियाड जाति मीणा निवासी जेठाना तहसील सागवाडा

(वादी)

बनाम

1– श्री केवल पिता बादरजी पाटीदार निवासी जेठाना
2– श्री डायालाल पिता बादरजी पाटीदार निवासी जेठाना
3– श्रीमती लीला पत्नि डायालाल पाटीदार निवासी जेठाना
4– श्रीमती कुरी पत्नि केवल पाटीदार निवासी जेठाना
5– श्रीमान तहसीलदार साहब लेण्ड होल्डर सागवाडा जरिये राज्य सरकार ।

(प्रतिवादी)

वकील वादी – श्री शेलेन्द्र जैन

वकील प्रतिवादीगण– श्री कपील भट्ट

दावा बाबत –घोषित करने खातेदार एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करनके के अन्तर्गत
धारा 88,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
निर्णय

वादी के वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मोजा जेठाना में वादी के कब्जे काश्त एंव स्वामित्व की खाता नपं01 के खसरा नंबर 1316 रकबस 2 बीघा 17 बिस्वा एवं खसरा नंबर 1317 रकबा 15 बिस्वा स्थित है जिसमें वादी एंव उसका पिता स्व0नगा पिता धूला मीणा संवत 2036 से वर्तमान तक निरन्तर बे रोक टोक कब्जे एवं काश्त में है। यह कि खसरा परिवर्तन निर्धारण तथा गैर मस्तकील की प्रमाणित नकल पी–14 नकल संवत 2036 ,संवत 2036 से 2062 तक की वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों में वादी के पिता स्व0 नगा पिता धुला मीणा के नाम राजस्व रकेकार्ड में काबिज ,काश्तकार के रूप में लगभग 31 वर्षों का लगातार स्वामित्व एंव कब्जा स्थित है तथा कृषक के रूप में दर्ज है । यह कि वादीगण के पिता स्व0 नगा पिता धुलाजी मीणा एवं उनके पूत्र वारिसान वादी द्वारा उक्त जमीन

Scanned with CamScanner

पर 31 वर्षों के कब्जें एवं स्वामित्व तथा काश्त के दौरान कई हजारों रूपया खर्च कर उक्त मगरी जमीन को समतल करवाया एवं उक्त 3 बीघा 12 बिस्वा जमीन को काबिल काश्त बनाया एवं उपजाउ जमीन में परिवर्तन कर काश्त कर रहा है । यह कि वादी के पिता स्व0 नगा एवं वादी द्वारा उक्त जमीन में तीन महुए व एक आम का पेड लगाया जो वर्तमान में विकसीत होकर फल प्रदान करते है जिसका फल वादी ही प्राप्त कर रहा है तथा उक्त जमीन को चारो तरफ से बाड लगाकर वादी सालाना दो फसले उत्पादित कर रहा है तथा उक्त जमीन में नीम ,बबूल, सहित कई अन्य पेड भी वादी ने हाथ से लगाये जको वर्तमान में बडे हो चुके है।

यह कि उक्त जमीन बांसवाडा डूँगरपुर मेन रोड पर स्थित है इसी वजह से प्रतिवादी नंबर 1 व 2 की उक्त आराजी पर बूरी नियत है इस वजह से वह आये दिन उक्त जमीन को हडपने हेतु तरह तरह के हथकंडे अपनाता कर भूमि को वादी के कब्जे काश्त से हटाना चाहता है । यह कि वादी के पिता स्व0 नगा की मृत्यु दिनांक 10.3.2011 को हुई है उसके उपरान्त ही प्रतिवादीगण उक्त जमीन को हडपने की कोशिश करने लगे है तथा वादी को फंसाने झूठे मुकद्मे करते हैं। यह कि वादी ने प्रतिवर्ष की तरह उक्त आराजी नंबर 1316 एवं 1317 में मक्का,उडद ,ग्वार एवं तील की फसल बोई जो दिनांक 28.7.2011 को प्रतिवादीगण ने ट्रैक्टर द्वारा जोतकर नष्ट कर दिया एवं उसके उपर सोयाबीन की फसल बो दी ।

यह कि उक्त खसरा नंबर 1316 एवं 1317 पर वादीगण का उनके पिता के समय से ही लगभग 31 वर्षों से निरन्तर कब्जा एवं काश्त में है इस आधार पर वादी उक्त खसरा नंबर कुल रकबा 3बीघा 12 बिस्वा पर खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादीगण को सर्वकालिन निषेधाज्ञा द्वारा अतिक्रमण करने से रोका जाना अति आवश्यक है । उक्त खसरा नम्बर वर्षों से वादी एवं उनके पिता काबिज एंव काश्त में है अतः इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करना अति आवश्यक है कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त एंव स्वामित्व की जमीन में उपयोग उपभोग में रूकावट बाधा नही डालें ।

वादी ने वाद के अन्त में मोजा जेठाना के खाता संख्या 1 के खसरा नंबर 1316 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1317 रकबा 15 बिस्वा के वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने ,पी–14 में वादी का नाम पुनः जूडवाने ,प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने निवेदन किया गया है ।

वादी द्वारा वाद पुष्टि में शपथ पत्र संलग्न करते हुए खसरा नकल परिवर्तनशिल एंव अस्थाई कृषि संवत 2036 से 2052 की नकले ,खाता संख्या 1 की नकल ,नक्शा ट्रैस ,खसरा गिरदावरी ,मृत्यु प्रमाण पत्र एवं फोटो खसरा नंबर 1316,1317 प्रस्तुत किया गया है ।

Scanned with CamScanner

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने सम्मन जारी किए गए । प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 27.2.2012 को जवाब प्रस्तुत किया गया ।

वाद पत्र ,प्रतिवादी के जवाब के आधार पर निम्नांकित वाद बिन्दु कायम किए गए :–

तनकी संख्या 1 :–

आया वादी का वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1316 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा एवं 1317 रकबा 15 बिस्वा पर गत 31 वर्षों से बेरोकटोक कब्जा काश्त चला आ रहा है ,अतः खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है ? (वादी)

तनकी संख्या 2 :–

आया वादग्रस्त भूमि पर वादी का काश्त कब्जा होने से प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है ? (वादी)

तनकी संख्या 3:–

आया मोजा जैठाना के आराजी नम्बर 1316 एवं 1317 पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त होकर पी:14 पर वर्ष 2001 से लगायत वर्तमान तक प्रतिवादीगण का काश्त कब्जा दर्ज है अतः खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है ? (प्रतिवादी)

तनकी संख्या 4:–

आया वादग्रस्त भूमि वादी द्वारा प्रतिवादीगण को खेतों की अदला बदली में देकर स्टाम्प के जरिये हस्तान्तरण किया है ,वादी वादग्रस्त भूमि का हस्तान्तरण प्रतिवादी को (अदला बदलीद) में देने का अधिकारी है ? (वादी–प्रतिवादी)

तनकी संख्या 5 :–

दादरसी ?

उपरोक्तानुसार तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई । वादी की ओर से साक्ष्य में वादी स्वयं लक्सी पिता नगा ,गवाह हन्तोक पत्नि रूपसी ताबियाड मीणा ,गवाह भरत पिता गोकल खांट के बयान कराये जाकर साक्ष्य वादी समाप्त की गई ।

प्रतिवादी की ओर से गवाह केवल के बयान कराये तथा ओर साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से साक्ष्य प्रतिवादी समाप्त की जाने से अन्तिम बहस समायत की गई ।

विद्वान वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजीयात पर संवत 2036 से कब्जा होकर संवत 2036 से 2062 तक पेनाल्टी भरना तथा आज भी अपने कब्जे में होना , प्रतिवादी कें अदला बदली के जवाब के कम में वकील वादी ने अपनी बहस में बताया कि प्रतिवादी सवर्ण से अदला बदली नही हो सकती है । विवादित आराजीयात पर महुए एवं आम के फल भी वादी द्वारा प्राप्त किया जाना बताते हुए वादी की ओर से प्रस्तुत

Scanned with CamScanner

दस्तावेज प्रदर्श 1 से प्रदर्ष –17 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि वादी का विवादित आराजीयात पर 31 साल से कब्जा है अतः वादी खातेदारी घोषित कराने का अधिकारी होना बताते हुए विवादित खसरा नंबर कुल रकबा 3बीघा 12 बिस्वा पर खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादीगण को सर्वकालिन निषेधाज्ञा द्वारा अतिक्रमण करने से रोका जाना अति आवश्यक है । उक्त खसरा नम्बर वर्षो से वादी एवं उनके पिता काबिज एंव काश्त में है अतः इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करना अति आवश्यक है कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त एंव स्वामित्व की जमीन में उपयोग उपभोग में रूकावट बाधा नही डालें ,जारी किए जाने का निवेदन करते हुए बहस समाप्त की गई ।

विद्धान वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में वाद पत्र के प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए आराजी नम्बर 1316 एवं 1417 वादी ने उन्हें स्टाम्प पर लिखा पढी कर बैठाना , फसल के लिए विवाद दो वर्ष से होना , वादी खातेदार नही है एवं वादी का कोई अधिकार नही है । वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में बताया कि वादी के पिता का कब्जा था जो उन्होंने अपने जीवनकाल में ट्रांसफर कर दिया था अतः प्रतिवादी की खातेदारी की जाने का निवेदन करते हुए बहस समाप्त की गई ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्धान अभिभाषक वादी ,प्रतिवादी की बहस पर मनन किया। तनकीवाईज निर्णय निम्नानुसार है :–

तनकी संख्या 1 :–

आया वादी का वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1316 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा एवं 1317 रकबा 15 बिस्वा पर गत 31 वर्षों से बेरोकटोक कब्जा काश्त चला आ रहा है ,अतः खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी को है। पत्रावली में उपलब्ध प्रदर्श–5जो कि जमाबन्दी मोजा जेठाना संवत 2065–68 है जिसमें आराजी नम्बर 1316 रकबा 2बीघा17 बिस्वा किस्म मगरी अंकित होकर खातेदार के स्थान पर राज0 सरकार किस्म पहाडिया एवं पर्वत दर्ज है । वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 से प्रदर्श 12 जो कि खसरा परिवर्तनशिल संवत 2037 2052 है ,में विवादित आराजीयात पर वादी के पिता का कब्जा काश्त अंकित है । इसके अलावा वादी स्वयं के बयान एवं प्रस्तुत साक्ष्य में उक्त दोनो आराजीयात पर पुराना कब्जा बताते हुए वादी ने खातेदारी में दर्ज किए जाने का निवेदन किया गया है । चूँकि विवादित भूमि प्रदर्श– 5 एंव प्रस्तुत साक्ष्य से राज.सरकार की होना स्पष्ट है ,नियमानुसार राजकीय भूमि पर कब्जे के नियमन के लिए नियमों में प्रथक से प्रावधान है ।जिससे वादी को खातेदार घोषित किया नही जा सकता है । कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन/नियमन के प्रावधानानुसार प्रार्थी वादी यदि नियमन की

Scanned with CamScanner

पात्रता रखता है तो वह कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन/नियमन के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी के समक्ष अपने कब्जे व काश्त के प्रमाण के साथ नियमानुसार आवेदन करें। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 2 :–

आया वादग्रस्त भूमि पर वादी का काश्त कब्जा होने से प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी को है । तनकी संख्या 1 के विवेचन में उल्लेखित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि राजकीय है ।चूँकि वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार कृषक नही है अतः प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी नही है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 3:–

आया मोजा जैठाना के आराजी नम्बर 1316 एवं 1317 पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त होकर पी:14 पर वर्ष 2001 से लगायत वर्तमान तक प्रतिवादीगण का काश्त कब्जा दर्ज है अतः खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है ? (प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी को है । प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श– ए–2 से ए–12 जो कि खसरा परिवर्तनशिल की नकले हैं ,में विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1316 व 1317 पर प्रतिवादी अतिक्रमी दर्ज है। इसके अलावा प्रतिवादी के गवाह डीडब्लू–2 डायालाल ने अपने बयान की जिरह में विवादित जमीन पर वादी का कब्जा नही होना तथा गवाह डीडब्लू–3 रूपजी ने अपने बयान जिरह में वादीगण का 20 वर्ष से कब्जा होना बताया है ।वादी द्वारा अपने कब्जे के प्रमाण में खसरा गिरदावरी संवत 2034 ,2035 ,2036 की प्रस्तुत की है जिसमें विवादित आराजीयात के सामने अन्तिम कॉलम में वादी के पिता का नाम अंकित है । इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी अपना कब्जा काश्त प्रमाणित करने में असमर्थ रहा है । अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 4:–

आया वादग्रस्त भूमि वादी द्वारा प्रतिवादीगण को खेतों की अदला बदली में देकर स्टाम्प के जरिये हस्तान्तरण किया है ,वादी वादग्रस्त भूमि का हस्तान्तरण प्रतिवादी को (अदला बदलीद) में देने का अधिकारी है ? (वादी–प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी– प्रतिवादी को है । पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड की प्रतियों एंव गवाह के बयान जिरह से यह प्रमाणित हो रहा है कि विवादित आराजीयात राजकीय बिलानाम है। अदला बदली मात्र खातेदारी भूमि की ही की जा सकती है । चूँकि विवादित भूमि राजकीय है अतः पक्षकारान

Scanned with CamScanner

को अदला बदली का कोई अधिकार नही है । अतः यह तनकी वादी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 5 :–

दादरसी ?

उपरोक्त तनकी संख्या 1 से लगायत 4 के विवेचन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात राजस्व रेकार्ड में राजकीय बिलानाम दर्ज रेकार्ड है । वादी के द्वारा वाद पुराने कब्जे के आधार पर खातेदार घोषित करने का है । कृषि प्रयोष्जनार्थ भूमि आवंटन नियमों में पुराने काश्त कब्जे को नियमन के प्रावधान है । भूमि राजकीय होने से खातेदार घोषित नही किया जाने से वाद वादी खारीज किया जाता है । नियमों में प्रावधित पुराने काश्त कब्जे के साक्ष्य प्रस्तुत कर कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियमन कमेटी के समक्ष आवेदन किया जा सकता है ।

अतः वाद वादी खारीज किया जाता है । डिक्री पर्चा जारी हो ।

निर्णयक आज दिनांक 19-10-2020 को खूले न्यायालय में सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल शुमार हो ,नंबर से कम हो ।

(राजीव द्विवेदी)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned with CamScanner